फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री रमेश **विपक्षी : श्री नाथु**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 71/23**

जीसीएमएस : 2023/308

कमांक	कार्यवाही विवरण	

दिनांक : 09.09.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी सं. 4 से 7 की ओर से अधिवक्ता श्रीमती रेखा मीणा उपस्थित। विपक्षी सं. 1, 2 के सम्मन बाद तामील प्राप्त। विपक्षी सं. 3 के सम्मन रजिस्टर्ड एडी से मूल वाद में बाद तामील प्राप्त। विपक्षी सं. 1 से 3 को आवाजे दिलवाई गई। अनुपस्थित हैं। अतः अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते हैं। अधिवक्ता विपक्षी सं. 4 से 7 द्वारा जवाब नहीं देना चाहकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी सं. 1 से 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज के अध्ययन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 1, 4 से 7 के नाम पर दर्ज हैं। वादग्रस्त भूमि को विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज हिस्से भूमि को प्रार्थी द्वारा अपनी पैतृक भूमि होना बताकर घोषणा चाही हैं। यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है तो मौके पर विवाद बढने की सम्भावना प्रतीत होती है तथा पक्षकारों के मध्य अनावश्यक मुकदमेंबाजी भी बढेगी। मामला पैतृक भूमि में घोषणा के हक अधिकारो का है यदि विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि का विक्रय कर देते है तो इससे प्रार्थी के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा अपूरणीय क्षति होगी। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 से 3 को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित पाया जाता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि मौजा फलीचडा खेडी पटवार हल्का फलीचडा तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 187 पर दर्ज आराजी नम्बर 100 से 105, 107, 80, 87 से 91, 95, 97 से 99 किता 17 रकबा 6.5561 हेक्टेयर भूमि में मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.25 15:46:03 IST
Reason: SelfAttested

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली